

**अनुमति की शर्तें ।**

- (i) उक्त भवन/सूचना के निर्माण की स्वीकृति स्वामित्व सिद्ध करा करती है ।
- (ii) किलो की उपार या विनाय (व्यापिक, राजकीय, व्यक्तिगत या अन्य) होने की स्थिति में निगम का कोई उत्तरदायित्व नहीं होगा तथा न ही निगम किलो क्षतिपूर्ति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (iii) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करते ही आवेदक निगम को सूचित करेगा ।
- (iv) स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।
- (v) उपकर जमा करवाने के क्षमत (जिम्मेवारी) आवेदक के होती

एकल खिन्की केवल आवासीय प्रवीणार्थ

कार्यालय नगर निगम, जोधपुर

आवेदन क्रमांक 924 दिनांक 17/03/2021

प्रार्थी श्रीमती शक्ति देवी पत्नी श्री जेठूराम

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 137311-जमा

जरिये रसीद संख्या 9069/6655-6656

दिनांक 17/03/2021 को जमा करा दी है ।

17/03/2021

सहायक नगर नियोजक  
नगर निगम, जोधपुर

**दक्षिण**

अहमद लाल  
9314001509

जी.सि.  
आवासीय

र-202-133 नैहर कीलानी  
खाना शतानाग